


क्रमांक / कोर्ट / 2025 / 888

तहसीलदार,
तहसील, जालसू,
जयपुर।

विषय:—प्रकरण संख्या 90/2019 बउनवानी गोपाल बनाम कुमार गौरव वगै0 में निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 10.07.2025 की पालना में पालना रिपोर्ट भिजवाने बाबत्।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वाद संख्या 90/2019 बउनवानी गोपाल बनाम कुमार गौरव वगै0 में निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 10.07.2025 की छायाप्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही है। उक्त निर्णय अनुसार यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो पालना कर पालना रिपोर्ट अतिशीघ्र न्यायालय में भिजवायें।

संलग्न:—1. प्रतिलिपि निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 10.07.2025
2. नक्शा ट्रेस


सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर



फर्द अहकाम
 न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर
 गोपाल बजाज शारव

5/11
 केस संख्या : 90/19

आज्ञा विस्तृत रूप से

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	विवरण
8325	24.6.2025	पंजावली प्रभुत/व.क.उप। मुताबक कुवेजात हेतु प्रॉव 4 2/25 को पेश है। सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर
4 2/25	10/7/25	पंजावली प्रभुत/व.क.उप। कुवेजात प्रॉव हेतु प्रॉव 4 2/25 को पेश है। उक्त प्रॉव का ता.पेशा पर तापशुक्रम से बंध के पंजावली प्रॉव 10/7/25 को पेश है। सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर
10 7/25		पंजावली प्रभुत/व.क.उप। बंध मुनी गरी, तधवीवपा जालमू से प्रॉव कुवेजात पा को आपत्त उक्त प्रॉव ने गरी की। अतः कुवेजात के काश्चा पा वा गिरी विषय जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पंजावली प्रॉव 10 7/25 को पेश है। सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर

आज्ञा
 कार्यवाही

मुताबक प्रॉव
 24.6.2025

4 2/25

10 7/25

पालकोट
 तटमील
 - 888
 1/1/2025

न्यायालय :- सहायक कलक्टर आमेर,
मुख्यालय जयपुर (राज)
पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.



नियमित वाद संख्या - 90/2019

वाद प्रस्तुति दिनांक - 10.07.2019

1. गोपाल पुत्र श्री सुवा
 2. बनवारी पुत्र श्री सुवा
 3. सुजा पुत्र श्री सुवा
 4. भग्गू पुत्र श्री सुवा
 5. रामेश्वर पुत्र श्री नानूडा
 6. सीताराम पुत्र श्री नानूडा
 7. मूलचन्द पुत्र श्री घीसा (फौत)
 - 7/1. सुरझान पुत्र मूलचन्द
 - 7/2. भंवर पुत्र मूलचन्द
 8. नन्छूराम पुत्र श्री धीसाराम
 9. रामकुवार पुत्र श्री धीसाराम
- समस्त जाति जाट निवासी ग्राम बुगालिया, तहसील जालसू जिला जयपुर।

बनाम

-वादीगण

1. कुमार गोरव पुत्र श्री गुट्या
2. पंकज पुत्र श्री गुट्या
3. पवन पुत्र श्री गुट्या
4. जितेंद्र पुत्र श्री गुट्या
5. नाथूलाल पुत्र श्री सुवा
6. भगवती सहाय पुत्र सुवा
7. बाबूलाल पुत्र सुवा समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम बुगालिया तहसील जालसू जिला जयपुर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जालसू तहसील जालसू जिला जयपुर।
9. उप पंजीयक जालसू तहसील जालसू जिला जयपुर।
10. एसबीआई बैंक शाखा प्रबंधक शाखा कालवाड।
11. एसबीआई बैंक शाखा प्रबंधक शाखा आमेर।

- प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत - 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम -1955

दिनांक 10.07.2025

हस्तगत वाद पत्र में वादी द्वारा अंकित किया गया है कि वादीगण बुगालिया, तहसील आमेर, जिला जयपुर के रहने वाले काश्तकार पेशा व्यक्ति हैं, जो काश्त कर अपना एवं अपने परिवार का पालन पोषण करते चले आ रहे हैं। वाके ग्राम बुगालिया, पटवार हल्का बीचपडी, भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र राधाकिशनपुरा, हाल तहसील जालसू, जिला जयपुर में स्थित हाल खाता संख्या 69 के हाल खसरा नम्बर 233 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 333 रकबा 0.29 हैक्टेयर, कुल खसरा नम्बर कित्ता 2 का कुल रकबा 0.

Bmi
सहायक कलक्टर
आमेर, जयपुर



48 हैक्टेयर, जिसमें वादीगण संख्या 1 का 1/24 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/24 हिस्सा, वादी संख्या 3 का 1/24 हिस्सा, वादी संख्या 4 का 1/24 हिस्सा, वादी संख्या 5 का 1/24 हिस्सा, वादी संख्या 6 का 1/12 हिस्सा, वादी संख्या 7 का 1/18 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 का 1/18 हिस्सा, वादी संख्या 9 का 1/18 हिस्सा, निहित हैं। शेष हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 का निहित हैं। उक्त आराजीयात ही वाद हाजा में विवादग्रस्त हैं, जिसे की वाद पत्र की अग्रिम मदों में भूमि विवादग्रस्त से सम्बोधित किया गया हैं। भूमि विवादग्रस्त वर्णित मद नम्बर 2 वाद पत्र का आज दिन तक विधिवत रूप से तकासमा नहीं हो रखा हैं, भूमि अविभाजित संयुक्त खातेदारी की हैं, जिस पर वादीगण काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा हैं। भूमि विवादग्रस्त को वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 ने मनबंट से बांट रखा हैं तथा वादीगण मनबंट में आये अपने हिस्से पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग कर रहे हैं तथा राज्य सरकार को लगान शामिलानी रूप से अदा करते चले आ रहे हैं। भूमि विवादग्रस्त संयुक्त खातेदारी की भूमि हैं, वादीगण अपने हिस्से पर काबिज काश्त होकर हर प्रकार से उपयोग-उपभोग कर उपजों को प्राप्त कर लाभ उठाते चले आ रहे अतः विधिवत तकासमा किया जावे।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया।

प्रतिवादी संख्या 4, 10, व 11 बावजूद तामील नोटिस अनुपस्थित रहने पर दिनांक 29.04.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी/वादी 1 ता 7 ने प्राथमिक डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया। वादी का वाद बाई मीट्स एंड बाउंड्स के आधार पर प्राथमिक डिक्री किया गया तदनुसार तहसीलदार आमेर जयपुर को निर्देशित किया गया कि वे राज० टीनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) रुल्स के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए वाके ग्राम बुगालिया, तहसील आमेर, जिला जयपुर स्थित हाल खाता संख्या 69 के हाल खसरा नम्बर 233 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 333 रकबा 0.29 हैक्टेयर, कुल खसरा नम्बर किता 2 का कुल रकबा 0.48 हैक्टेयर भूमि का बाई मीट्स एंड बाउंड्स के आधार पर तकासमा कर जमाबंदी में अंकित हिस्से अनुसार कुर्रैजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन प्रतियों में भिजवाने हेतु आदेशित किया गया।

तहसीलदार जालसू ने अपनी रिपोर्ट

क्रमांक/भू0अ0/2025 /2157 दिनांक 19.06.2025 के द्वारा कुर्रैजात प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित गये। उभयपक्ष ने कुर्रैजात पर कोई आपत्ति पेश नहीं की। अतः तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :-

1. कुमार गौरव, पंकज कुमार, जितेन्द्र कुमार, पवन कुमार पि० गुट्ट्या हि. 1/2, तेजपाल प्रहलाद रणवीर विश्वास हीरालाल पि० नाथूलाल हि. 5/36 बाबूलाल भगोती सहाय पि० सुवा हि. 1/3 प्रेम देवी पुत्री नाथूलाल हि. 1/36 जाति मीना सा. देह राहिन मुताबिक




प्रकरण संख्या - 90/2019
यउनवानी - गोपाल बनाम कुमार गौरव वगै०
निर्णय दिनांक :-10.07.2025

जमाबंदी के हिस्से खसरा नंबर 233/1 रकबा 0.0950 हैक्टेयर, 333/1 रकबा 0.1150 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.2100 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

2. गोपाल, बनवारी भागू सुजा पि० सुवा हि. 1/3 नन्छूराम रामकुंवार पि० घासीराम हि. 2/9 भंवर सुरज्ञान पि० मूलचंद हि. 1/9 रामेश्वर सीताराम पि० नानूड हि. 1/3 जाति जाट सा. देह राहिन मुताबिक जमाबंदी के हिस्से खसरा नंबर 233/2 रकबा 0.0950 हैक्टेयर, 333/2 रकबा 0.1150 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.2100 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
3. शामलात मुताबिक जमाबंदी खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 333/3 रकबा 0.0600 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार जालसू को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलक्टर
आमेर मु० जयपुर



प्रकरण संख्या - 90/2019
बउनवानी - गोपाल बनाम कुमार गौरव वगैरे
निर्णय दिनांक :-10.07.2025

अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस

नियमित वाद संख्या - 90/2019

वाद प्रस्तुति दिनांक - 12.09.2019

1. गोपाल पुत्र श्री सुवा
 2. बनवारी पुत्र श्री सुवा
 3. सुजा पुत्र श्री सुवा
 4. भग्गू पुत्र श्री सुवा
 5. रामेश्वर पुत्र श्री नानूडा
 6. सीताराम पुत्र श्री नानूदा
 7. मूलचन्द पुत्र श्री घीसा (फौत)
 - 7/1. सुरज्ञान पुत्र मूलचन्द
 - 7/2. भंवर पुत्र मूलचन्द
 8. नन्धूराम पुत्र श्री धीसाराम
 9. रामकुवारं पुत्र श्री धीसाराम
- समस्त जाति जाट निवासी ग्राम बुगालिया, तहसील जालसू जिला जयपुर।

-वादीगण

बनाम

1. कुमार गौरव पुत्र श्री गुट्या
2. पंकज पुत्र श्री गुट्या
3. पवन पुत्र श्री गुट्या
4. जितेंद्र पुत्र श्री गुट्या
5. नाथूलाल पुत्र श्री सुवा
6. भगवती सहाय पुत्र सुवा
7. बाबूलाल पुत्र सुवा समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम बुगालिया तहसील जालसू जिला जयपुर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जालसू तहसील जालसू जिला जयपुर।
9. उप पंजीयक जालसू तहसील जालसू जिला जयपुर।
10. एसबीआई बैंक शाखा प्रबंधक शाखा कालवाड।
11. एसबीआई बैंक शाखा प्रबंधक शाखा आमेर।

- प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत - 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम -1955

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है:-

Bm
सहायक कलक्टर
आमेर म् जयपुर

कुमार गौरव, पंकज कुमार, जितेन्द्र कुमार, पवन कुमार पि0 गुट्या हि. 1/2, तेजपाल प्रहलाद रणवीर विश्वास हीरालाल पि0 नाथूलाल हि. 5/36 बाबूलाल भगोती सहाय पि0 सुवा हि. 1/3 प्रेम देवी पुत्री नाथूलाल हि. 1/36 जाति मीणा सा. देह राहिन मुताबिक


- जमाबंदी के हिस्से खसरा नंबर 233/1 रकबा 0.0950 हैक्टेयर, 333/1 रकबा 0.1150 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.2100 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. गोपाल, बनवारी भागू सुजा पि० सुवा हि. 1/3 नन्डूराम रामकुंवार पि० घासीराम हि. 2/9 भंवर सुरज्ञान पि० मूलचंद हि. 1/9 रामेश्वर सीताराम पि० नानूडज्ञ हि. 1/3 जाति जाट सा. देह राहिन मुताबिक जमाबंदी के हिस्से खसरा नंबर 233/2 रकबा 0.0950 हैक्टेयर, 333/2 रकबा 0.1150 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.2100 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
3. शामलात मुताबिक जमाबंदी खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 333/3 रकबा 0.0600 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार जालसू को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।


बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 10.07.2025 को जारी किया।

दस्तख्त—
ओहदा—




सहायक कलक्टर
आमेर मु० जयपुर

गुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बबत् इजराय हुकमानामा मुत्तफरित मीजान	2 रुपये 2 रुपये 4 रुपये	—	स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बबत् इजराय हुकमानामा मुत्तफरित मीजान	2 रुपये 2 रुपये 4 रुपये	—


सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

RAA/2021

ममल-बागवा शेरा

ग्राम: दुमालिया

तह: जालंधर

जिला: पंजाब

सिव

वार हल्ले अभि नि: सीले :- जना : जय


तुकार

तुकार

तुकार

तुकार

तुकार



11/06/2025
श्री. विपदी



पक्षकार :-
कुमार गोविंद प्रेमकुमार गिलद कुमार कौं जातिमीजा



गोपाल कवारी भाग पूजा कौं गालिआट री पारवां



सावलाली

गवरलाल

गोपाल

(14)
श्री. विपदी

11/06/25
श्री. विपदी

11/06/2025
ILR RRP

11/6/25
उप तहसील जालंधर
मुण्डोला तह. - जालंधर

11/6/25
तहसीलदार (पूजा)
तहसील, जालंधर